



तारीख हुकम	<p style="text-align: center;">राजेश बनार प्रकृषल के हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज प्रकृषल अस्थाई निषेधाज्ञा मुं.नं. 103/2022</p>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
17.01.2023	<p>वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मिसल तलबों का पेश करने पर पत्रावली आगामी पेशी 25.01.2023 से पूर्व तलब होकर आज पेश हुई। प्रार्थी राजेश की ओर से श्री कानाराम पूनियां एड0 ने उपस्थित होकर अवगत कराया कि प्रकरण से सम्बन्धित मूल वादपत्र में राजीनामा हो चुका हैं। जिसके कारण उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। इस बाबत पत्रावली की आदेशिका पर अपना कथन अंकित किया। अतः वकील प्रार्थी के निवेदन पर मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर आगे नहीं चलाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फंसल शुमार हांकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">  (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी अस्थाई निषेधाज्ञा, श्रीमोहापुर (सीकर) </p>	<p>प्रकृषल अस्थाई निषेधाज्ञा मुं.नं. 103/2022</p> <p>राजेश</p> <p>17-1-23</p> <p style="text-align: right;">  (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी अस्थाई निषेधाज्ञा, श्रीमोहापुर (सीकर) </p>

